न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट सं06,इटावा।

एस0टी0सं00100/2019

राज्य **प्रति**

1– विनोद कुमार,
2– अरविन्दु कुमार,
3– सरमन,
4– इन्द्रजीत उर्फ मिस्त्री,
5– रमन,

धारा– 147,148,149,307,353,332, 336,341,188,436,504,506 भा0दं0सं0 व 7सी.एल.ए.एक्ट व 3/4लोक सम्पत्ति हानि नि0अ0
थाना–जसवन्तनगर, जिला इटावा।
मु0अ0सं0 71/2015

विद्वान अपर जिला लोक अभियोजक ने राज्य की ओर से अभियोजन पक्ष के मामले का वर्णन किया, और अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप का विवरण देते हुए यह बताया कि, वह अभियुक्तगण के दोष को किन साक्ष्यों से सिद्ध करने की प्रस्थापना करते है।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को भी आरोप के प्रश्न पर सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य/ सामग्री के अवलोकन के उपरान्त अभियुक्तगण विनोद कुमार,अरविन्द कुमार,सरमन,इन्द्रजीत उर्फ मिस्त्री एवं रमन के विरूद्ध धारा 147,148,353,,332,307/149,336/149,341/149,188,/149,436/149,504,506भा0 दं0 सं0 , धारा 7 सीएलए एक्ट व 3/4 लोक सम्पत्ति हानि निवा.अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किए जाने का आधार प्रथमदष्टया पर्याप्त है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये।

(मो0 कमरूज्जमां खान)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोर्ट सं06,इटावा।

दि0 01.07.2019

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट सं० 6,इटावा।

सेशन ट्रायल सं० 100/2019

सरकार बनाम विनोद कुमार आदि

आरोप

मैं,मो0 कमरूज्जमां खान ,अपर जिला एवं शेसन न्यायाधीश कोर्ट सं06,इटावा आप अभियुक्तगण विनोद कुमार,अरविन्द कुमार,सरमन,इन्द्रजीत उर्फ मिस्त्री एवं रमन के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ–

प्रथम– यह कि दिनांक 25.01.2015 को समय करीब 11.30ए.एम.वस्थान चौराहा जसवन्तनगर अन्तर्गत थाना क्षेत्र जसवन्तनगर जिला इटावा में आप लोगों ने एक राय होकर नाजायज मजमा बनाया जिसका सामान्य उददेश्य पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न करना,गाली गलौज करना,जान से मारने की धमकी देना व जान से मारने की नियत से फायर करना व विधिपूर्ण आज्ञा की अवहेलना करना आदि का था। आपने उक्त सामान्य उददेश्य की प्रतिपूर्ति हेतु बल व हिंसा का प्रयोग करते हुए बल्वा कारित किया। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा **147** के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीय– यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर वादी एसएचओ देवेन्द्र सिंह यादव व अन्य पुलिस कर्मचारियों आदि के साथ मारपीट व जान से मारने की नीयत आदि के आशय से एक नाजायज मजमा बनाया तथा उक्त सामान्य उददेश्य की पूर्ति के समय आप घातक आयुधों से सुसज्जित थे। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा **148** के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीय– यह कि उक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर उक्त नाजायज मजमा के सामान्य उददेश्य की प्रतिपूर्ति में वादी एसएचओ देवेन्द्र सिंह यादव व अन्य पुलिस कर्मचारियों आदि पर यह जानते व समझते हुए और इन परिस्थतियों में जान से मारने की नीयत से फायर किया गया कि ,यदि उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती ,तो आप भी हत्या के दोषी होते। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा **307/149** के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थ– यह कि उक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर उक्त नाजायज मजमा के सामान्य उददेश्य की प्रतिपूर्ति में वादी एसएचओ देवेन्द्र सिंह यादव व अन्य पुलिस कर्मचारियों आदि पर जब वह लोक सेवक की हैसियत से अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे तब भयोपरत करने के लिए हमला अथवा आपराधिक बल का प्रयोग किया। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा **353/149** के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचम– यह कि उक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर उक्त नाजायज मजमा के सामान्य उददेश्य की प्रतिपूर्ति में वादी एसएचओ देवेन्द्र सिंह यादव व अन्य पुलिस कर्मचारियों आदि पर जब वह लोक सेवक की हैसियत से अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, तब भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित की। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा **332/149** के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

षष्टम— यह कि उक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर उक्त नाजायज मजमा के सामान्य उददेश्य की प्रतिपूर्ति में वादी एसएचओ देवेन्द्र सिंह यादव व अन्य पुलिस कर्मचारियों आदि पर जब वह लोक सेवक की हैसियत से अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे तब उन पर ईंट पत्थर फेंका जिस पर एस0एस0आई0 सुधाकर सिंह,कां0 शमसुददीन,कां0 विनोद कुमार व चालक सुभाषबाबू के चोटे आयीं। आपके उक्त कार्य से उनका वैयक्तिक क्षेप संकटापन्न हो गया । इसप्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा **336/149** के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

सप्तम— यह कि उक्त दिनांक,समय व स्थान पर एक राय होकर उक्त नाजायज मजमा के सामान्य उददेश्य की प्रतिपूर्ति में वादी एसएचओ देवेन्द्र सिंह यादव व अन्य पुलिस कर्मचारियों आदि जब वह लोक सेवक की हैसियत से अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मु0अ0सं0 70/2015 धारा 364ए,302,201 भा0दं0सं0 में वांछित अभियुक्त आदेश पुत्र नाथूराम को गिफतार करके ले जा रही थी, तब आपलोगों ने उसे छुडाने के लिए जाम लगाकर सदोष अवरोध कारित किया। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा **341/149** के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अष्ठम— यह कि उक्त दिनांक,समय व स्थान पर एक राय होकर नाजायज मजमा के सामान्य उददेश्य की पूर्ति में पुलिस कर्मचारियों को जब वह लोक सेवक की हैसियत से अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मु0अ0सं0 70/2015 धारा 364ए,302,201 भा0दं0सं0 में वांछित अभियुक्त आदेश पुत्र नाथूराम को गिफतार करके ले जा रही थी, तब आपलोगों ने उसे छुडाने के लिए जाम लगाकर प्रख्यापित आदेश के पालन में अवज्ञा की। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा **188/149** के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

नवम— यह कि उक्त दिनांक,समय व स्थान पर एक राय होकर नाजायज मजमा के सामान्य उददेश्य की पूर्ति में पुलिस कर्मचारियों को जब वह लोक सेवक की हैसियत से अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मु0अ0सं0 70/2015 धारा 364ए,302,201 भा0दं0सं0 में वांछित अभियुक्त आदेश पुत्र नाथूराम को गिफतार करके ले जा रही थी, तब आपलोगों ने उसे छुडाने के लिए जाम लगाया और सरकारी जीप सं0 यू0पी075जी—0148 व उसमें लगे वायरलेस सेट को ईंट पत्थरो से कुचल दिया और बाद में आग लगाकर सरकारी सम्पत्ति का नुकसान करते हुए रिष्टि कारित की। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा **436/149** के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

दशम— यह कि उक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपलोगों ने एक राय होकर वादी एसएचओ देवेन्द्र सिंह यादव व अन्य पुलिस कर्मचारियों को लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान किया। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

एकादश- यह कि उक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपलोगों ने एक राय होकर वादी एसएचओ देवेन्द्र सिंह यादव व अन्य पुलिस कर्मचारियों को आपराधकि अभित्रास देते हुए आइन्दा जान से मारने की धमकी दी। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा **506** के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्ववादश– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपलोगों ने घातक हथियारों से लैश होकर वादी मुकदमा एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों पर हमलावर होकर ईंट पत्थरों मारपीट की,जान से मारने की नियत से फायर किए तथा पुलिस की गाडी में आग लगाकर जला दिया एवं जाम लगाकर आवागमन में रूकावट डाली। आपके इस कृत्य से चौराहे के पास के दुकानदारों में भय व आंतक व्याप्त हो गया,लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी तथा अफरा तफरी का महौल उत्पन्न हो गया तथा आस पास के दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भागने लगे और क्षेत्रीय लोग घर में घुस गये। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **कि0ला0एमेंडमेंट एक्ट की धारा 7** के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

त्रयोदस– यह कि उक्त दिनांक,समय व स्थान पर एक राय होकर नाजायज मजमा के सामान्य उददेश्य की पूर्ति में सरकारी जीप सं0 यू0पी075जी–0148 व उसमें लगे वायरलेस सेट को ईंट पत्थरो से कुचल दिया और बाद में आग लगाकर सरकारी सम्पत्ति का नुकसान कारित की। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3/4 लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

एतद्द्वारा मैं निर्देश देता हूँ कि आपका विचारण उपरोक्त आरोपों के तहत इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(मो0कमरूज्जमां खान)

दि0 01.07.2019

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोर्ट सं06,इटावा।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होने अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की।

(मो0कमरूज्जमां खान)

दि0 01.07.2019

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोर्ट सं06,इटावा।

सीएमएम

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सप्तम,इटावा।

<u>एस0टी0सं0 11ए / 2013</u>

राज्य **प्रति** 1– सुनील शर्मा पुत्र हरीशंकर शर्मा
धारा– 3/25 आर्म्स एक्ट,
थाना–कोतवाली, जिला इटावा।
<u>मु0अ0सं0 846/2011</u>

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) ने राज्य की ओर से अभियोजन पक्ष के मामले का वर्णन किया, और अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप का विवरण देते हुए यह बताया कि, वह अभियुक्त के दोष को किन साक्ष्यों से सिद्ध करने की प्रस्थापना करते है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को भी आरोप के प्रश्न पर सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य/ सामग्री के अवलोकन के उपरान्त अभियुक्त सुनील शर्मा के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किए जाने का आधार प्रथमदष्टया पर्याप्त है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये।

(मो0 कमरूज्जमां खान)
दि0 07.03.2019 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
सप्तम,इटावा।

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,सप्तम,इटावा।

सेशन ट्रायल सं० 11A/2013

सरकार **बनाम** **सुनील शर्मा**

<u>आरोप</u>

मैं,मो0 कमरूज्जमां खान ,अपर जिला एवं शेसन न्यायाधीश सप्तम,इटावा आप अभियुक्त सुनील शर्मा पुत्र हरीशंकर के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ–

यह कि दिनांक 11.11.2013 को समय करीब 10.15बजे पी0एम0 वस्थान बलराम सिंह का चौराहा,ईदगाह के पास थाना क्षेत्र कोतवाली जनपद इटावा में थाना पुलिस द्वारा आपकी जामा तलाशी लिए जाने पर आपके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर चालू हालत में व पैंट की बांयी जेब से 4 अदद कारतूस जिंदा 315 बोर नाजायज बरामद हुए,जिनके रखने का आपके पास कोई लाइसेंस नही था। इसप्रकार आपका यह कृत्य आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत दण्डनीय है, तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देश देता हूँ कि आपका विचारण उपरोक्त आरोपों के तहत इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(मो0कमरूज्जमां खान)
दि0 07.03.2019 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
सप्तम,इटावा।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की।

(मो0कमरूज्जमां खान)
दि0 07.03.2019 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
सप्तम,इटावा।

सीएमएम